राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 23/2017

जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2017/00068

दायर दिनांक– 11.08.2017

निर्णय दिनांक– 14.12.2023

1. श्रीमती अनोप कंवर पत्नि नारायण (तर्क)
2. रामसिंह पुत्र नारायण
3. गिरवर सिंह पुत्र नारायण

सर्वजाति राजपुत, सर्वनिवासी ग्राम जाखोलाई तहसील रूपनगढ़

....प्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

बनाम

1. भालसिंह पुत्र मुलसिंह
2. श्रवण सिंह पुत्र मुलसिंह
3. हनुमान सिंह पुत्र जसवंत सिंह(फौत)
   3/1 श्रीमती सम्मानकंवर पत्नि हनुमान सिंह
   3/2 भंवर सिंह पुत्र हनुमान सिंह
   3/3 तेज सिह पुत्र हनुमान सिंह
   3/4 शिवपाल सिंह पुत्र हनुमान सिंह
   3/5 दरयाव सिंह पुत्र हनुमान सिंह
4. मदन सिंह पुत्र जसवंत सिंह
5. भंवर सिंह पुत्र हनुमान सिंह
6. श्रीपाल सिंह पुत्र हनुमान सिंह
7. महेन्द्र सिंह पुत्र अमरसिंह
8. टंवर सिंह पुत्र भंवर सिंह

सर्वजाति राजपुत, सर्वनिवासी ग्राम जाखोलाई तहसील रूपनगढ़

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. डॉ रामदेव गुर्जर प्रार्थीगण अधि0

2. श्री विजेन्द्र सिंह अप्रार्थीगण अधि0

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 49, 61, 62, 168 व 169 कुल खसरा 5 कुल रकबा 81 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम जाखोलाई पटवार हल्का उजोली तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में स्थित है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण निरन्तर, निर्बाध रूप काबिज का[illegible] राजस्व रिकार्ड अनुसार निहित हिस्से में मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की आराजी में अ[illegible] 1 से 8 ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण कर कच्चा–पक्का निर्माण करने पर उतारू है एवं अप्रार्थी संख्या [illegible] से 8 जबरन प्रार्थीगण की आराजी में गड्ढे खोदकर शौचालय– स्नानागार बनाने [illegible] आराजी की ख[illegible] जिसमें वृक्ष लगा रखे है उनकी जबरन अवैध कटाई कर [illegible] अप्रार्थी [illegible] से 8 आये दिन वादी[illegible] कृषकीय कार्य को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 से 8 को बलात् अतिचार व कृषकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pinder
Date: 2024.01.11 13:04:38 IST
Reason: SelfAttested

14/12/23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 8 का जवाब प्राप्त हुआ। प्राप्त जवाब अनुसार ख0न0 61 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 8 का चाह भूमि ख0न0 56 स्थित है। अप्रार्थीगण के ख0न0 61 में. पक्का मकान बना हुआ है जो कई वर्षो पूर्व बना हुआ है। अप्रार्थीगण का चाह ख0न0 56 से उत्तर दिशा में पक्के मकान बने हुए है एवं उक्त मकान के पूर्व से पश्चिम दिशा 165 फिट व उत्तर से दक्षिण दिशा 120 फिट में ख0न0 61 में मकान बने हुए है। उक्त स्थान पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण के कथन असत्य है। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 को दिनांक 06.10.2022 को अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 3 की मृत्यु होने के कारण उनके वारिसान को पक्षकार संयोजित किया गया। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में जवाब पेश किया। वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 8 प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त व अन्य कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म किये जाने के आदेश फरमावे। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस माने हाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

14/12/23
सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड ... रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 13:04:38 IST
Reason: SelfAttested